कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ, अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड़, रायपुर
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू-प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2552233 ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/विविध/115–588/873 रायपुर, दिनांक 7/04/2016

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त – बिलासपुर
छत्तीसगढ

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक
क्रमांक 1639
दिनांक 12-4-16
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर (छ.ग.)

विषयः – **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 of 28.388 ha. of Forest Land to Construct Railway Line for Spur of East Rail Corridor from Kharsia to Gurda & Ghargoda to Gare Pelm a distance of 38 (10+28) km (Approx). in Raigarh District to be used for freight & passanger service – Regarding.**
– **पंजीयन कमांक – FP/CG/RAIL/12523/2015**

संदर्भः मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त बिलासपुर का पत्र कमांक/तक./512 दिनांक 18.03.2016

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित परियोजना प्रतिवेदन में आनलाईन परीक्षण में निम्नानुसार कमियां पायी गई हैः–

1. आवेदन कर्त्ता मुख्य परिचालन अधिकारी रेल कॉरीडोर रायपुर द्वारा रायगढ जिले के रायगढ़ वनमंडल में कुल 28.388 हे. हेतु प्रकरण पंजीकृत कराया गया था परन्तु आनलाईन फार्म ए के पार्ट "2" को जॉच करने पर कुल क्षेत्र 26.181 हे. दर्शित है। क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है तो फार्म ए के पार्ट "1" में भी आवेदक संस्थान से सुधार कराया जाना चाहिए था। क्षेत्र में परिवर्तन का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आनलाईन फार्म ए के पार्ट "1" एवं पार्ट "2" में अपलोड आकड़ों एवं दस्तावेजों में सुधार करावें।
2. प्रस्तावित क्षेत्र में खडे वृक्षों जिनका विदोहन किया जाना है परियोजना में 4314 वृक्ष बताया गया है जबकि आनलाईन में 1097 वृक्ष दर्शित है। स्पष्ट करें। उदाहरण के तौर पर आनलाईन प्रकरण क्रमांक FP/CG/TRANS/9820/2015 अनुसार आनलाईन एवं मूल प्रस्ताव में होना चाहिए।
3. कलेक्टर रायगढ़ द्वारा प्रदाय वन अधिकार अधिनियम प्रमाण पत्र की मूल प्रति मूल प्रस्ताव में संलग्न नहीं है, साथ में जो पूर्व में ग्राम सभा हुई है उस की ग्राम सभाओं का सत्यापित कार्यवाही विवरण संलग्न करें। नई ग्राम सभा नही करानी है।
4. आनलाईन प्रकरण की टाईम लाईन की हस्ताक्षरित मूल प्रति मुख्य वन संरक्षक एवं वन मंडल कार्यालय द्वारा संलग्न नहीं है।
5. वन मंडल द्वारा आनलाईन फार्म ए के पार्ट "2" की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न नहीं है।
6. इस वन क्षेत्र की वन्य प्राणी योजना किस में समावेशित है ? अर्थात ईस्ट कारीडोर में अथवा ईस्ट – वेस्ट रेल कारीडोर मे स्पष्ट करें।
7. प्रत्याशा मूल्य की राशि निर्धारित प्रपत्र में गणना कर प्रेषित करें।
8. वृक्षों की प्रजाति Botanical Name की सूची संलग्न करें।
9. प्रस्तावित क्षेत्र के वन्य प्राणियों के Zoological Name की सूची संलग्न करें।
10. पृष्ठ क्रमांक – 11 एवं पृष्ठ क्रमांक 128 (प्रपत्र –3) में कक्ष क्रमांक एवं आवेदित क्षेत्र में भिन्नता है।
11. त्रुटियों को सुधार कर टाईम लाईन मय हस्ताक्षर के प्रस्तुत करें। अपूर्ण प्रस्ताव किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगा।

संलग्नः– मूल प्रस्ताव।

(मुदित कुमार सिंह)
अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–588/874 रायपुर, दिनांक 7/04/2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **वन मंडलाधिकारी**, रायगढ़ वन मंडल छत्तीसगढ।
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी**, छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल्वे लिमिटेड, द्वितीय तल, सी.एस.आई.डी.सी., कामर्शियल काम्पलेक्स, महादेव घाट रोड़, रायपुरा चौंक, रायपुर, छत्तीसगढ़।

वर्तमान में किसी भी प्रकार के वन भूमि में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।

पृ.क्र./तक./2599 दिनांक – 18.04.2016